



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17112022-240364
CG-DL-E-17112022-240364

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5149]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 17, 2022/कार्तिक 26, 1944

No. 5149]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 17, 2022/KARTIKA 26, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

सं. 44/2015-2020

विषय: वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा रेड सैंडर्स वुड के निर्यात हेतु समयवधि को बढ़ाने के संबंध में।

का.आ. 5375(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015-20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22), की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचना सं. 35/2015-20 दिनांक 07.10.2021 में संशोधन करती है।

2. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार रेड सैंडर्स हार्ट वुड के लट्टों के रूप में निर्यात हेतु कार्ययुक्तियों को अंतिम रूप देगा तथा निर्यात की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिक से अधिक **6 अक्टूबर, 2023** तक पूरा करेगा।

3. अधिसूचना सं. 35/2015-20 दिनांक 07.10.2021 के अन्य प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

4. अधिसूचना का प्रभाव:

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, ओडिशा सरकार को रेड सैंडर्स हार्ट वुड के लट्टों के रूप में निर्यात हेतु कार्ययुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 06.10.2023 तक समयावधि की अनुमति दी गई है।

[फा. सं. 01/91/110/008/एएम-21/ईसी/22128]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th November, 2022

No. 44 /2015-2020

Subject : Export of Red Sanders wood by Forest Environment & Climate Change Department, Government of Odisha - Extension of time regarding.

S.O. 5375(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended read with para 1.02 and Para 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes amendment in Notification No. 35/2015-20 dated 07.10.2021.

2. The Forest Environment & Climate Change Department, Government of Odisha shall finalize the modalities for export of the Red Sanders Heart Wood in log form and shall complete the whole process of export latest by **6th October, 2023**.

3. Other provisions of Notification No. 35/2015-20 dated 07.10.2021 shall remain unchanged.

4. Effect of this notification:

Forest Environment & Climate Change Department, Government of Odisha has been allowed time upto 06.10.2023 to finalize the modalities for export of the Red Sanders Heart Wood in log form.

[F. No. 01/91/110/008/AM-21/EC/22128]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
Ex-officio Addl. Secy.